भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 3235
दिनांक 08.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पासपोर्ट के लिए आवश्यक दस्तावेज

3235. श्री राजू बिष्टः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि दार्जीलिंग और कलिमपोंग जिलों, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को पासपोर्ट के लिए आवेदन / पासपोर्ट नवीकरण के लिए आवेदन करते समय दस्तावेजों की निर्धारित सूचियों के अलावा पुलिस सत्यापन अपेक्षाओं जैसे स्थानीय समाज (सीएसओ) से पत्र, उस स्थान के अन्य निवासियों से प्राप्त दो अतिरिक्त पत्रों के रूप में अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि वे आवेदक को जानते हैं और वह भारतीय नागरिक हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश भर में पुलिस सत्यापन के लिए ऐसी आवश्यकताएं अनिवार्य हैं अथवा ये केवल पश्चिम बंगाल राज्य में विशेषकर दार्जीलिंग और कलिमपोंग जिलों में स्थित पासपोर्ट सेवा केन्द्रों पर लागू हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा केन्द्रों की सेवा गुणवत्ता में सुधार करने और उन लोगों की शिकायतों का समाधान करने के लिए तंत्र स्थापित किए हैं जिन्हें पासपोर्ट सेवा केन्द्रों में कर्मचारियों के व्यवहार और पुलिस सत्यापन प्रक्रिया के बारे में शिकायतें हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री कीर्तवर्धन सिंह]

(क) और (ख) पुलिस सत्यापन राज्य पुलिस प्राधिकारियों द्वारा उनके अपने दिशानिर्देशों और प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। संबंधित पुलिस प्राधिकारियों को पासपोर्ट आवेदक की नागरिकता, आपराधिकता और पहचान के संबंध में सभी आवश्यक सत्यापन करने होते हैं और वे इस संबंध में सभी आवश्यक दस्तावेज़ मांग सकते हैं। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भौगोलिक और जनसांख्यिकीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित पुलिस प्राधिकारियों को पासपोर्ट आवेदक की नागरिकता, आपराधिकता और पहचान स्थापित करने के लिए अलग-अलग दस्तावेज़ों की आवश्यकता हो सकती है। पुलिस सत्यापन पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकारियों के किसी हस्तक्षेप के बिना, स्वतंत्र रूप से किया जाता है।

(ग) समय-समय पर, कार्यात्मक स्तर पर सुचारू समन्वय सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों (आरपीओ) और सभी संबंधितों को दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं। पासपोर्ट सेवाओं के सुचारू संचालन और विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं। साथ ही, शिकायतों और जन शिकायतों को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और विशिष्ट लोक शिकायत प्रकोष्ठ, सीपीग्राम्स, ईमेल और एक्स-हैंडल जैसे विभिन्न तरीकों से उनका निवारण किया जाता है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों को विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट भी भेजने के लिए कहा जाता है। सभी शिकायतों की सख्त निगरानी की जाती है।

*****